ISSN : 2456-8856

पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/9510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 24, अंक 222 अप्रैल 2022

शत-शत नमन

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

वर्ष : 24 अंक 222
अप्रैल 2022

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/9510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	03
2.	समकालीन कला में सौन्दर्यात्मक साहित्यिक भाषा	उज्ज्वल सु.काडोदे	04
3	डॉ.अम्बेडकर के कृषि संबंधी विचारों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. बृजेन्द्र सिंह बौद्ध	08
4.	ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाने में मीडिया की भूमिका	अनिल कुमार गुप्ता	12
5.	Major Problems & Challenges in the way of administrative reforms in India	Raj Kamal Soni	16
6.	सामाजिक क्रांति के अग्रदूत : बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर	डॉ. प्रकाश अठावले	20
7.	चेतना एवं जागृति की कहानी का विद्यार्थी संस्करण : मोहनदास नैमिशरायजी की पाँच लघु पुस्तिकाएं	प्रदीप कुमार ठाकुर	25

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम – आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.– 63040357829
बैंक – भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा– फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 15/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 150/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 1,500/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 10,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

बौद्धिसत्व, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय इतिहास में अप्रतिम हस्ताक्षर हैं जिसका प्रमुख कारण है कि उनका अनुकरण पीढ़ियों को साथ लेकर आगे बढ़ा है। वे तब तक प्रासंगिक रहेंगे जब तक समाज और देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक और अन्य किसी आधार पर समानता और सामाजिक न्याय की मांग रहेगी और मानवीय अधिकारों के लिये संघर्ष रहेगा।

दलितों के मसीहा बाबा साहेब भारतीय समाज के चिंतक ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के संविधान का निर्माण कर भारत के जन–जन के आदर्श बन गये हैं। 14 अप्रैल उनके जन्मोत्सव के अवसर पर देश–विदेश में समता और समरसता के लिए अनेकानेक कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है, जिससे सिद्ध होता है कि उन्होंने भारतीय समाज को अवश्य ही कोई नयी दिशा दी है, क्योंकि जनता उसी के गुणगान गाती है जिसने लोक कल्याण के लिये अपना योगदान दिया हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो जन साधारण के लिये प्रत्येक क्षेत्र में एकता के द्वार खोले हैं वे सराहनीय तो हैं ही, अनुकरणीय भी हैं। जीवन पर्यन्त संघर्ष से वे समझ गये थे कि ''स्वतंत्रता व अधिकार कभी भिक्षा की तरह मांगने से नहीं मिलते, इनकी प्राप्ति के लिये सिर कटाने पड़ते हैं।''

सन् 1943 में समाज सुधारक एम.जी. रानाडे की जन्मशती पर अपना भाषण देते हुए उन्होंने महान व्यक्ति को कुछ ऐसे परिभाषित किया–''ईमानदारी और बुद्धिमता एक इंसान को उसके अन्य साथियों से ज्यादा पहचान दिलाने के लिये काफी है। महान व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रभावित होना चाहिए और समाज के लिए संकटमोचन के रूप में कार्य करना चाहिए। यह ऐसे तत्तव हैं जो उसे समाज में इज्जत और आदर दिलाते हैं।

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की मात्र एक तस्वीर सभी अवरोधों को तोड़ते हुए दलितों–शोषितों–वंचितों को जोड़ने का एकमात्र मंत्र है, उन्होंने लाखों दलितों को पहचान दी और बिना धर्म वाली मानवता का एजेंडा दिया। लोकतंत्र की सम्पूर्ण अवधारणा डॉ. अम्बेडकर के बिना अधूरी है, लेकिन विडम्बना यह है कि विगत लगभग सात दशक की धर्म और जाति की राजनीति ने भारत रत्न को एक चुनावी दंगल की आवश्यकता में बदल दिया है। स्वतंत्र भारत के नव निर्माण का यह एक ऐसा यथार्थ है जो धर्म और जाति की संकीर्ण सत्तावादी मानसिकता को निरंतर चुनौती देता है।

एक भारत–श्रेष्ठ भारत का नागरिक इसी बात को पुनः समझना चाहता है कि क्या इस प्रकार भारत का लोकतंत्र धर्म और जाति की राजनीति से मुक्त हो सकेगा और क्या हम 130 करोड़ देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक समानता और समरसता से जोड़ पाएंगे? वर्तमान में बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को लेकर जो राजनीतिक उत्साह और भक्तिभाव गूंज रहा है, उसका यथार्थ तो यह है कि भारत के संवैधानिक गणतंत्र में धर्म और जातीय भेदभाव तथा असमानता की हिंसा और प्रति हिंसा लगातार बढ़ रही है तो, एक मंदिर, एक कुँआ और एक श्मशान का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज देश के लगभग छः लाख गाँवों में कहीं नहीं है और चारों ओर धर्म और जाति के गुट संविधान और डॉ. अम्बेडकर के सपनों पर ही सबसे अधिक कुठाराघात की राजनीति कर रहे हैं।

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को भारतीय समय और समाज का विद्रोही और न्याय पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हम भारत के लोगों को एकता, समता, बंधुता और स्वतंत्रता के उत्प्रेरित संविधान दिया।

डॉ. अम्बेडकर की आधुनिक भारत को लेकर जो सोच थी, वह अक्सर समय–समय पर सामने आ जाती है। सन् 1955 में उनका विचार था कि भाषायी राज्यों को अलग कर दो, बिहार और मध्यप्रदेश को दो–दो भागों में विभाजित कर दो। यह 2000 में व्यवहारिक धरातल पर हुआ। वे छोटे राज्य के पक्षधर थे और चाहते थे कि उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र को तीन राज्यों में विभाजित कर दिया जाए। वह बंबई को शहरी राज्य और हैदराबाद को भारत की दूसरी राजधानी के रूप में देखते थे। 1957 में हिन्दू आचार अधिनियम के जरिये लैंगिक समानता को बढ़ाना चाहते थे जिसके लिये महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देने की बात की, जो 2005 में जाकर हुआ। वे भारत को यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ इण्डिया और एक अभेद्य संघ के रूप में देखना चाहते थे। डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि बीमा पर सरकार का एकाधिकार होना चाहिए और प्रत्येक नागरिक का जीवन–बीमा होना चाहिए।

अतः हम सबका यह साझा संघर्ष होना चाहिए कि बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिये देश को डिजिटल इंडिया बनाने के पहले सामाजिक, आर्थिक न्याय का भारत बना दे।

– डॉ. तारा परमार

समकालीन कला में सौन्दर्यात्मक साहित्यिक भाषा

– उज्जवल सु. काडोदे

कला संस्कृति का अंग है और संस्कृति धर्म की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसलिए विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। यह धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष को देने वाली है। जिस गृह में यह कला रहती है वह गृह मांगल्य होता है। इसमें नृत्य और चित्र का बड़ा गहरा सम्बन्ध है। नृत्य में दृष्टि, हाव, भाव आदि की जो भंगीमा बतायी गयी है वह चित्र में भी प्रयोज्य है। और साहित्य में शब्द महिमा प्रगट होती है। साहित्यिक भाषा में कला की कलात्मक सौन्दर्य को धर्म, नीति और सामाजिक मूल्यों से अलग रखा जो कला समाज के लिए, जिसमें कलात्मक मूल्यों सौन्दर्य को समाज से जोड़ा गया है।

बीज शब्द :– कलाकृति, अभिव्यक्ति, साहित्य सौन्दर्य, रचनाकार, प्रासंगिकता, कला अन्तर्सम्बन्ध।

प्रस्तावना :– कला या कलाकृति की महत्ता इस बात में भी है कि एक बार 'अन्तिम रूप' पा जाने पर वह बराबर नए अर्थ खोलती रहती है। इसलिए अतीत की किसी कलाकृतियों में क्या हम अतीत और वर्तमान को एक साथ नहीं पहचानते, किसी वर्तमान में अतीत की कोई कलाकृति क्या उस वर्तमान से भी जुड़ी नहीं होती। उसकी सार्थकता और प्रासंगिकता इसी बात में तो होती है कि वह बीते हुए कल को ही सम्बोधित न होकर 'आज' को भी सम्बोधित होती है। महादेवी वर्मा ने कला, सौन्दर्य एवं साहित्य को अधिक परिभाषित करते हुए कहा...'कलाओं में चित्र ही काव्य का अधिक विश्वस्त सहयोगी होने की क्षमता रखता है।[1] और यही अकारण नहीं हैं कि हिन्दी में कला–चिन्तन की एक पृष्ट परम्परा तो रही ही है। इसमें अनेक कथाकार–कवि, कला–चित्रकला के क्षेत्र में सक्रिय रहे है। कला–साहित्य की रचनाओं में समाज एवं लोक कल्याण की कल्पना करता है। भारत में कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान साहित्यकार एवं कलाकार हुए जिन्होंने लोककला का सामाजिक नेतृत्व किया। तथा डॉ. रामशंकर द्विवेदी वरिष्ठ साहित्यकार और अनुवादक और इन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन और सम्पादन किया जिनकी अनुवादित उल्लेखनीय कृतियों में वागेश्वरी शिल्प प्रबन्धावली, शिल्पी रामकिंकर : आलापचारी, विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा चित्रकार आदि का लेखन किया है। वैसे ही डॉ. अशरफी भगत, डॉ रणजीत साहा, अनिरूद्ध चारी, ब्रजेश त्रिपाठी, प्रयाग शुक्ल, प्रभाकर बर्वे, डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी, प्रो, रमानाथ मिश्र, शुकदेव श्रोत्रिय, धीरज कुमार मिश्र, अवधेश अमन, भुनेश्वर भास्कर, डॉ. अवधेश मिश्र, डॉ. अभिलाषा द्विवेदी, रामकुमार, समशेर बहादुर सिहं, हुसैन, और महादेवी वर्मा आदि, इनके चित्रो को प्रचलित पैमाने से रचनाकर उनका मूल्य निर्धारण न भी किया जाए तो भी इतना तो कहा ही जा सकता है, कि यह इन साहित्यकारों की रचनात्मकता की छलकी हुई मात्रा, 'स्पिल ओवर' है, जो उनके चित्रो के रूप में सामने आई है।[2]

साहित्य और कला सौन्दर्य का निकटतम् संबंध है। और वह अनेक रूपों में व्यक्त होता रहता है। अरूण कोलकर और गन्थर ग्रास दोनों ने साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान दिया है। आज समकालीन चित्रकारों में गुलाम मोहम्मद शेख ने कबीर पर एक चित्र मालिका बनायी है। उधर नीलिमा शेख के चित्रों में कश्मीरी कवि आगा शहिद अली की कविताओं का उपयोग दिखायी देता है। सुबोध गुप्ता, अमितवा दास, अतुल डोडियां भी ऐसे ही एक प्रयोगशील चित्रकार है। उन्होंने गुजराती

कविताओं पर चित्र–मालिका बनाकर चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करते आ रहे है।

साहित्य एवं कलाकार समाज वैज्ञानिक के रूप में सामाजिक मान्यताओं का विश्लेषण व निरूपन करता है। अर्थात कल्पना एवं विचार का आधार यथार्थ होता है। कलात्मक रचनाएं साहित्य से जुडी हो वह प्राचीन परम्परा का उपयोग उपनिषद् काल से ही ज्ञानदान एवं समाज व्यवस्था के संचालन हेतु होता आया है। भाष्य, टिका, व्युत्पत्ति, विश्लेषण व्याख्या, अनुवचन, अनुकथन.. . इन विधियों से भारतीय चिन्तक ज्ञान, धर्म, और विचार की अभिव्यक्ति करते आए है। भारतीय साहित्य एवं ज्ञान के ध्वजधारीगण अपने–अपने समय के नागरिकों के भाषा–पुराणों का पुनर्कथन या आत्मसातीकरण करते रहे है।[3]

रामचरितमानस या विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचित रामकथाओं, कृष्णकथाओं के पुनर्कथन में साहित्यिक रूप और चित्रकारी के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रसिद्ध भारतीय ग्रन्थ 'पंचतन्त्र' का आठवी सदी में अरबी में अनुवाद और फिर दुनियां की अन्य भाषाओं चित्रों के साथ में प्रसिद्ध हुआ था, तथा अन्य भाषाओं तक उसकी पहुंच इसी बात का सूचक है। लेकिन भाषाओं से उसे अधिक सुलभ और आम जनता को समझने के लिए चित्रों का माध्यम चुनना पड़ा ताकी समझने के लिए आसान हो। इसमें कलाकार एवं साहित्यकार जहाँ एक सामाजिक विचारक के रूप में युगीन विचारधाराओं का निर्माण, पोषण व अभिव्यक्ति करता है, वहां उसकी कृति समाज और उसके परिवेश का आकलन कर सामाजिक पुननिर्माण नीति, कार्यक्रम, उनकी सफलता–असफलता प्रभाव एवं परिणामों का चित्रण करती है।[4]

एक रचनाकार अपनी मूल रचनाधर्मिता से अन्य कलात्मक माध्यमों से भी प्रेरणा पाता रहा है। अर्थात मानव भावनाएं सर्वत्र एवं सभी परिस्थितियों में एक समान ही रहती है और उनकी धुरी समाज ही रहता है। कला और सामाजिक भावनाओ का मानव–वृत्तियों से सीधा सम्बन्ध है। कलात्मक सृजन में समस्त कलाएं एवं साहित्य एक है। परिणामस्वरूप कला का रूप भी विश्वव्यापी बनता है।[5] रचना की पृष्ठभूमि में सामूहिक चेतना का प्रतिबिम्ब व प्रेरणा रहती है। वह व्यक्ति एवं समाज को अपनी लेखनी से आकार प्रदान कर एक नई सृष्टि का निर्माण करता है। जहाँ सामान्य व्यक्ति की पहुंच असम्भव होती है। रचनाकार की सामाजिक प्रतिबद्धता उसकी कृतियों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। विभिन्न कलाओं व साहित्य का यह अन्तर्सम्बन्ध प्रायः हर युग में दृष्टव्य है। एक कृतिकार लेखनी, तूलिका द्वारा युग को वाणी प्रदान करता है, युग का निर्माण करता है। जिसमें बिहारी सतसई, गीत गोविन्द, कादम्बरी, रसीकप्रिया, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुन्तलम जैसे अनेकानेक साहित्य के भण्डार है। जिसने एक चित्रकार को एक साहित्यकार को लगातार प्रेरित कर उसके 'बिम्ब विधान' को पोषित किया है। उल्लेखनीय यह भी है कि विभिन्न कला रूपों ने अपनी समीक्षा के लिए एक विशिष्ट शब्दावली भी विकसित की है। जो अक्सर इतनी तकनीकी हो जाती है कि उसे दूसरी कलाओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाना लगभग असम्भव हो जाता है। साहित्य ही एकमात्र ऐसा कलारूप है, जो अपनी समीक्षा और मूल्यांकन के लिए इतनी अधिक मात्रा में अन्य कला–रूपों की भी तकनीकी शब्दावली इस्तेमाल कर लेता है। 'कला और साहित्य' के अर्न्तसम्बधों के अवगाहन के साथ–साथ उन प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। जो समकालीन कल के परिप्रेक्ष्य में आज अधिक सामायिक है।[6]

साहित्य सौन्दर्य एवं कला सौन्दर्य की चर्चा करे तो महान काव्य रचनाकार मीरा का नाम लिया जाएगा, मीरा की आध्यात्मिकता, प्रेमी के लिए सारा संसार अपार आनंदमय हो जाना, तथा विरह की तीव्र वेदनानुभूति देखी जा सकती है। तथा मीरा का विरह–वर्णन उसकी स्वानुभूति से ओतप्रोत है। मीरा के कई पदों में तो विरह

का वर्णन इतना ओतप्रोत और आधुनिक युग के पाठक को भी झकझोर देने में समर्थ है। उनके काव्य–साहित्य में लोकाभिमुखता एवं सामाजिकता, दासत्व जनित उदघोषना करने वाले समस्त धर्मशास्त्र, संस्कृति, दर्शन एवं इतिहास, तथा प्रेम साधना की दीर्घ–यात्रा के यही तीन मील के पत्थर है। इसमें समकालीन कलाकारो ने भी साहित्य–सौन्दर्य अनुभूत करके साहित्य एवं कला जनाकांक्षाओं, भावनाओं एवं विचारों को साकार करने वाली है। समाज में जागृति एवं पुनर्निर्माण की प्यास को जगाती है।[7]

कला सौंदर्यात्मक व्यवहारों को व्यक्त ही नहीं करती बल्कि उनका निर्माण विश्लेषण व दिशा–निर्देशन भी करती है। उसके यथार्थ में वह सब होता है। जो मनुष्य के चारों ओर है सभी कुछ जिनसे अपने जीवन और कार्यकलाप के दौरान उसका सम्पर्क होता है। प्रकृति, समाज तथा मानव के विचारों, भावनाओं तथा अनुभूतियों का अपना आंतरिक जगत है। इसलिए साहित्य एवं समीक्षाओं के क्रम में आदिमुलम, अनुपम सुद और विजय मोहिते जैसे भाव–समर्पित कलाकारों को उनकी कृतियों के माध्यम से देखने का प्रयास सम्भव है तो आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के बाद की कला एवं साहित्य को समझने का प्रयत्न भी है। समकालीन भारतीय दृष्टिकोण में कला एवं साहित्य नैतिक कर्म है। इस दृष्टि से आधार यह है कि कला एक ऐसा कर्म है जिससे कलाकार अपनी शक्ति और कौशल को सुनियोजित और व्यवस्थित करता है और तथ्यों और स्थितियों की पुनर्रचना करता है। वह कलाकार दृश्य को दोषों से मुक्त कर एक ऐसा सृजन करेगा जो नैतिक दृष्टि से सर्वथा उचित होगा। और सौन्दर्य को भी उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित कर कलाकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगो।[8]

आधुनिक युग में कला के सृजन में निखार आ गया है। आज की कला यथार्थ को प्रगट करती है। कला जनसाधारण की कला बन गई है। सभी वर्गो को आकर्षित करने की क्षमता उसमें है। हम यह समझने लगे है की आधुनिक कला का सम्बन्ध तथाकथित आधुनिक रूपों को छोडकर अन्य दूसरे कला रूपों से नहीं है और न ही शायद होना चाहिए। इससे एक यह आग्रह भी उपजता है कि आधुनिक कला को जब भी देखा जाए, तो अलग से ही देखा परखा जाएं। शायद यह भ्रान्ति ही वह कारण हो जो उसे साधारणतः दर्शकों से दूर रखती है–न केवल दर्शको से दूर रखती है बल्कि कई एक कलाकारों में भी इस धारणा को पोसती है कि आधुनिक कला वह विशिष्ट चीज है जिसे कहीं और से खाद–पानी की जरूरत नहीं है।[9]

कला–कृति कलाकार की निजी कल्पना और रचनाशीलता का परिणाम है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि सौन्दर्य–शास्त्र की अवधारणाओं पर कला–कृति बने, या कला–कृति के आधार पर सौन्दर्य–शास्त्र की अवधारणाएं बनें। ये दोनों एक ही समाज के उत्पादन है। क्योंकि इनका भीतरी तत्व, विशिष्ट मूलभाव, एक ही है। और यह दर्शकों को आधुनिक काल से दूर रखती है तो एक अधूरी बात ही कहीं पुरी और ज्यादा जरूरी बात यह भी है कि हमारे यहां कला के आस्वाद को लेकर ही एक उदासीनता दिखती है। केवल आधुनिक काल को लेकर ही नहीं।[10] लेकिन इस तथ्य को हमने आधुनिक कला के सन्दर्भ में इसीलिए उठाया है कि एक हद तक ही न सही काफी हद तक किसी भी समय के समकालीन रूप सजगता बढाते है। इसी में कला परम्परा के भी जीवित रहने की बात निहित रहती है। एक बिलकुल सहज बात पर गौर करें जो आधुनिक कला में मौजूद है। कला के पहले आधुनिक लगा लिया गया है।[11]

आज आधुनिकता के प्रभाव में हमें यह भी देखने को मिलता है एक ओर नये–नये प्रयोग हो रहें है तथा विभिन्न देशों के बीच कला का आदान–प्रदान बढ़ने के साथ, हमने यह भी पाया है कि समकालीन कला

परिदृश्य के अतिरिक्त, विभिन्न देशों के लोग–आदिवासी समाजों की कला में भी अमूर्तन के लक्षण दिखाई देते है। चाहे वे भारतीय हो चाहे आफ्रिकी हो या किसी अन्य देश के हो वे बहुतेरे ऐसे कला रूप बरतते है जिसमें आधुनिक अमूर्तता की विभिन्न आकारों तथा रंग, भावनाओं को प्रमुखता दी हो जो वहा की सांस्कृतिक परम्परा दर्शाती है। आधुनिकता का एक अर्थ निश्चय ही खोज भी है इस खोज में संवेदना की वह सूक्ष्मता शामिल है जो हमें बासीपन से बचाती है। और नए आयामों–नई दृष्टियों की ओर ले जाती है।[12] आधुनिक कला में पाश्चात्य कलाकारों में पिकासों के आफ्रिकी मुखौंटे, तथा सुप्रसिद्ध आधुनिक अमेरिकी चित्रकार जैक्शन पोलक का अमेरिकी इंडियनों के कई कला–रूपों से प्रभावित होना इसी सूक्ष्मता के स्तर पर था। उन्होंने आधुनिक अमेरिकी कला की नींव डाली। उनको एक्शन पेन्टर कहा जाता है।

भारत में भी मिनिएचर चित्रों को लेकर एक नई संवेदना आधुनिक कला में बढी है और कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार इसमें काफी आगे बढ़ रहे है। पारम्पारिक कलाओं को भी आज जैसे दर्शकों का अभाव है। सामाजिक स्तर पर भी हम देखते हैं कि हम कला को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी हमारी बौद्धिक संवेगों और संवेदनात्मक स्तर पर खुराक के लिए जरूरी है। आधुनिक कला के प्रति संवेदना बढे इसके लिए जरूरी है कि कला के प्रति ही संवेदना बढे। इसमें आधुनिक कला भी कला–परम्परा से जोडकर देखी जाती है।[13]

कला को साहित्यिक भाषा में बात करे तो कला संवेदना के बिना आधुनिक कला के प्रति संवेदना नहीं हो सकती। आधुनिक कला में भी तो अन्ततः उतना ही तत्व बचता है– जीवित रहता है–जितने में हमें कल दिखाई पड़ती है। केवल आधुनिक कला के प्रति ही कोई संवेदना का दावा करे, कला के प्रति नहीं मतलब यह होता है कि कला को सर्वभौमिक बनाना है तो साहित्यक शब्दों की जोड होना आवश्यक है।

कला–साहित्य का सृजन में उसका व्यक्तित्व गौण ग्रहण कर लेता हैं और समाज की आवश्यकताओं का प्रतिबिम्ब उसके सृजन में स्पष्ट झलकता है। यह केवल कवियों–साहित्यकारों तक ही सीमित नहीं है। अन्य भाषाओं में भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। फ्रांसीसी कवि एपोलिनेयर और आन्द्रे ब्रेतों तो बाकायदा अपने समय के प्रसिद्ध अतियथार्थवादी कला आन्दोलन से जुडें भी रहे। दूसरी ओर हरबर्ट रीड और अर्स्ट फिशर जैसे विचारकों ने कला पर अपने सुचिन्तित अध्ययन प्रस्तुत किये है। इसी प्रकार हिन्दी में भी जो परम्परा महादेवी वर्मा ने शुरू की थी। वह बाद में भी जारी रही। इस समय भी प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज और पंकज सिंह जैसे कवियों ने समय–समय पर अपनी कला समीक्षाओं के माध्यम से साहित्य और चित्रकला के बीच जीवन्त सम्पर्क बनाया है।

निष्कर्ष – कला सौंदर्यात्मक व्यवहारों को व्यक्त ही नहीं करती बल्कि उनका निर्माण विश्लेषण व दिशा–निर्देशन भी करती है। वर्तमान समय में कला सौंदर्य एवं साहित्य की दुनियाँ सौन्दर्य एवं उसकी एकांत साधना के सहारे नहीं चलती वह समाज के आर्थिक ढ़ाँचे, राजनीतिक परिवेश, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं से बहुत दूर तक प्रभावित होती है। साहित्य की दुनियां में लेखक और पाठक के बीच पुस्तक बाजार आ गया है जो संस्कृति का क्षेत्र प्रतिकात्मक वस्तुओं का बाजार बन गया है। तब से समाज में साहित्य की स्थिति बहुत बदल गई है। जो लेखक वर्तमान सत्ता और व्यवस्था के अंग हैं वे भी इस परिवर्तन से प्रभावित हो रहे है। जो वर्तमान व्यवस्था के विरोधी है उन पर भी इस परिवर्तन की छाया पड़ रही है।

लेक्चरर (चित्रकला विभाग)
स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एंड विजुवल आर्टस, रोहतक (हरियाणा)

संदर्भः–

1. शुक्ल प्रयाग, आज की कला, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 35
2. सिन्हा सच्चिदानन्द, अरूप और आकार, पृष्ठ 25
3. जोहर डॉ. ऋतु, भारतीय कला सामीक्षा, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृष्ठ 32–40
4. वाजपेयी डॉ. रा. सौन्दर्य पृष्ठ 40–45
5. चर्तुवेदी, डॉ. ममता, समकारलीन भारतीय कला, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृष्ठ 172–178
6. लखाटकिया, डॉ., आनंद, एस्कप्रेशन, पृष्ठ 30–35 7. प्रताप, डॉ. रीता, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृष्ठ 64
8. पाण्डेय, डॉ. जुगनू, सामाजिक परिवर्तन में कला एवं साहित्य, वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, पृष्ठ 75–112
9. जोशी, डॉ. ज्योतिश, समकालीन कला–दिल्ली, ललित कला, पृष्ठ 26, 30, 47
10. सक्सेना, एस, बी, एल, कला सिध्दान्त और परम्परा, बरेली, प्रकाश बुक प्रकाशन, पृष्ठ 50–65
11. मिश्र, डॉ. विद्यानिवास, साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, पृष्ठ 26
12. वीरेश्वर, डॉ. प्रकाश, कलादर्शन, मेरठ, कृष्णा प्रकाशन मीडिया, पृष्ठ 220, 265
13. साखलकर र, वि, कला कोश, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ 243

डॉ. अम्बेडकर के कृषि संबंधी विचारों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

– डॉ. बृजेन्द्र सिंह बौद्ध

सारांश :– भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों में संलग्न रहती है। देश में कृषि मुख्यतः वर्षा की कमी एवं अनवरत रूप से मानसून की मोहताज है। भारत एक विशाल देश होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक साधन विद्यमान है। प्रत्येक प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों तथा जलवायु के अनुरूप विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। देश के आर्थिक विकास हेतु आयात एवं निर्यात दोनों ही महत्वपूर्ण है। नये उद्योगों की स्थापना के लिए मशीनों एवं कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। कच्चे माल प्राप्त करने हेतु कृषि को बढ़ावा देकर कुछ पूर्ति कर सकते है। कृषि हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग–धन्धा ही नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। देश के उद्योग –धन्धे, विदेशी व्यापार, मुद्रा अर्जन विभिन्न योजनाओं की सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर ही निर्भर है। काश्तकारों की समस्याओं के बारे में भी डॉ. आंबेडकर का चिंतन मूलगामी है। बंबई विधिमंडल में 1927 को लघु भू–धारकों के हित में एक बिल डॉ. आंबेडकर के द्वारा लाया गया था। डॉ. आंबेडकर के कृषि से सम्बन्धी विचार अपने लेख ''स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एण्ड देअर रेमेडीज'' में परिलक्षित होते है। डॉ. आंबेडकर के कृषि विषय संबंधी विचार 'स्टेट्स ऑफ माइनोरिटीज' 1947 के अंक में भी प्रकाशित हुये थे। इसके साथ–साथ स्वतंत्र मजदूर पक्ष के घोषणा–पत्र में डॉ. आंबेडकर का कृषि ज्ञान ऐसा है, जो आंखे खोल दें।

प्रस्तावना :– देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9 प्रतिशत भाग कृषि एवं इससे सम्बन्धित उद्योग–धन्धों से अपनी अजीविका कमाता है और निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा अकेला व्यवसाय है, ''देश का लगभग 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है।''[1] भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सूती और पटसन, वस्त्र उद्योग, चीनी, वनस्पति तथा बागान उद्योग आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हथकरघा , बुनाई, तेल निकालना, चावल

कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है।

भारत में भूमि सुधार एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें सामाजिक न्याय की दृष्टि से जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के इष्टतम् प्रयोगों की दृष्टि से खेती किए जाने वाले जोतों का पुनर्गठन सम्मिलित है। भूमि सुधार के अन्तर्गत हम निम्नवत तत्वों को सम्मिलित करते है – ''बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, जोतों के अधिकतम तथा न्यूनतम आकार का निर्धारण, भूमि सम्बन्धी ढांचे का पुनर्गठन, जिसमें जोतों की चकबन्दी एवं खेती के छोटे तथा बिखराव को रोकना, सहकारी खेती की व्यवस्था।''[2] परम पूज्य बाबा साहब ने सामाजिक न्याय का ध्यान रखते हुये भूमि सुधार सम्बन्धी तत्वों पर गहनता से विचार व्यक्त किये है। भारत सरकार की और सहायता हेतु डॉ. आंबेडकर के कृषि सम्बन्धी विचार भी भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक गति प्रदान करने में सहायक होगें। तत्समय कृषि के खस्ताहाल पर डॉ. आंबेडकर ने कृषि के सुधार हेतु अनेक उपाय सुझाये थे। डॉ. आंबेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती और ग्रामीण जीवन के महत्वपूर्ण पहलू पर विश्लेषण किया। डॉ. आंबेडकर के द्वारा किये गये शोध को छोटे और किरायेदार किसानों की रोजगार की आर्थिक समस्याओं को जनता के बीच में लाने का श्रेय जाता है। डॉ. आंबेडकर ने खेती–किसानी के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुस्पष्ट सुझाव सुझाए। डॉ. आंबेडकर के अनुसार–''जीवन निर्वाह के आर्थिक तरीकों का अध्ययन सदा ही महत्वपूर्ण होता है। यह सबसे प्राचीन उद्योग है और अन्य सभी उद्योग, चाहे मुख्य हों या गौण, इस पर आधारित है। क्योंकि यह उद्योग अनाज के उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इसकी समस्याओं पर हमें सबसे अधिक गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।''[3] कृषि उत्पादन से संबंधित कृषि अर्थव्यवस्था की समस्याएं होती हैं–क्या पैदा किया जाए, उत्पादन कारकों का उचित अनुपात, जोतों का आकार, भूमि की पटटेदारी आदि। जोतों के आकार की समस्या से कृषि की उत्पादकता पर असर होता है।

उद्देश्य :–

1. कृषि सुधार पर अपने विचारों के अंतर्निहित उद्देश्य किसानों की उन्नति हेतु।
2. कृषि सुधार पर डॉ. आंबेडकर सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उन्मुख।
3. कृषि की उन्नति हेतु सहकारी खेती का विकास होना चाहिए।
4. कृषि का राष्ट्रीयकरण एवं व्यावसायीकरण होना चाहिए।

डॉ. आंबेडकर का कृषि क्षेत्र पर गहन चिंतन :– कुछ देशों में जोतें मुख्यतः छोटे आकार की होती है, जबकि अन्य देशों में बड़े आकार की। एडम स्मिथ के अनुसार–''मुख्यतया जब–जब सैनिक जीवन की अनिवार्यता के कारण ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार प्रदत्त करने का नियम अपनाया गया तो बड़ी जोतों की रचना और संरक्षण शुरू हुआ।''[4] राष्ट्र में शान्तिपूर्ण स्थिति के कारण समान उप–विभाजन किया जाता है तो उससे छोटी जोतें अस्तित्व में आती है। एडम स्मिथ ने कहा है–''जब भूमि को अन्य चल वस्तुओं की भांति निर्वाह और खुशी मनाने का साधन मात्र माना जाता है, तब उत्तराधिकार का स्वाभाविक कानून इस परिवार के सब बच्चों में बांट देता है क्योंकि पिता परिवार के सभी प्रिय बच्चों को निर्वाह और उपभोग की एक जैसी सुविधाएं देना चाहता है अर्थात इस तरह जोतें छोटी होती जाती है।''[5] ये दोनों तथ्य कटु सत्य थे। डॉ. आंबेडकर ने

जोतों के आकार का विवेचन कर कहा कि–''जोतों का अत्याधिक छोटा आकार भारतीय कृषि के लिए बहुत हानिकारक है। निःसंदेह छोटी जोतों में बहुत सी बुराईयां कम हो जाएं। जोतों का छोटा और बिखरा हुआ होना हमारे राष्ट्रीय उद्योग के लिए गहन चिन्ता का एक वास्तविक कारण बन गया है। अन्य देशों के आंकड़ों से तुलना करने पर भारत के आर्थिक जीवन के बहुत उल्लेखनीय, परन्तु घोर चिन्ताजनक दो और तथ्य भी हमारे सामने आते है : कि भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है और इसकी कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम है। अब बड़े अधिकारपूर्वक यह तर्क दिया जाने लगा है कि जोतों का आकार बड़ा कर दिया जाए और चकबंदी कर दी जाए। इसी के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ जाएगी। डॉ. आंबेडकर ने तर्क दिया कि–''भारत में कृषि छोटी–छोटी और बिखरी हुई जोतों के अभिशाप से ग्रस्त है, तो न केवल यह जरूरी है कि उनकी चकबंदी की जाए, बल्कि यह भी जरूरी है कि उनका आकार बड़ा किया जाए। यह बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि चकबंदी से भूमि के बिखरे होने की बुराईया तो दूर हो जाएंगी, परन्तु यह छोटी जोतों की बुराई दूर नहीं कर सकती, जब तक कि जोत आर्थिक दृष्टि से लाभकारी, अर्थात बड़े आकार की न हो।''[6] ऐसी स्थिति में डॉ. आंबेडकर का कहना है कि–''खेती का लाभदायी अथवा नुकसानदेह होना उसके आकार पर निर्भर नहीं हैं खेती के लिए मजदूर, पूंजी और बीज और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अगर काश्तकार के पास पर्याप्त मजदूर और पूंजी रहते हुए भी खेती घाटे में जाती है तब ही उसका विचार करना चाहिए। खेती के कारण ग्रामीण दरिद्रता, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यह भी गलत सिद्धान्त है। उसे खारिज करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा कि अपने देश में औद्योगीकरण होना चाहिए।''[7] छोटी जोतों की चकबंदी पर डॉ. आंबेडकर ने ''फ्रांस और इटली में विद्यमान सामूहिक खेती पद्धति और राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को अनुकरणीय बताया था। उत्पादन साधनों को सामूहिक स्वामित्व में करने के बाद उन्होंने खेती पद्धति (उत्तर भारत की जमींदारी प्रथा की भांति) और वतन पद्धति (बेगार प्रथा की भांति) को समाप्त करने वाले दो विधेयक मुंबई विधान सभा में प्रस्तुत किये थे।''[8] डॉ. आंबेडकर ''दलित वर्ग को ही सर्वहारा की श्रेणी मे गिनते थे। वे लोकतंत्रवादी, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के पक्षधर नहीं थे। वे मुक्त व्यापार के भी विरोधी थे। सितम्बर 1943 में मजदूर संघ की एक बैठक में उन्होंने कहा ''संविदा की स्वतंत्रता की राय ने लोकतन्त्र के आदर्शवादी सिद्धान्तों को नष्ट किया हैं संसद ने आर्थिक असमानताओं को नजर अन्दाज कर गैर–बराबरी बढाने वाले संविदा की शर्तों को मंजूर किया। संसदीय लोकतंत्र के नाम पर गरीब दलित पर होने वाले अन्याय को कहीं आगे बढ़ाया।'' उन्होंने संविधान सभा को दिये ज्ञापन में मूल उद्योगों का स्वामित्व और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की पैरवी की है। वे कृषि के भी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे और सरकार द्वारा सामूहिक खेती कराने की वकालत की।'' उनका प्रस्ताव था कि कृषि भी राज्य का उद्योग बने और न कोई जमींदार हो, न काश्तकार, न भूमिहीन मजदूर। आर्थिक शोषण के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने को उन्होंने मूल अधिकारों में समावेश करने की पैरवी की।''[9] डॉ. आंबेडकर ने कई अवसरों पर कृषि सुधारों को संबोधित किया। कृषि सुधार पर उनके विचारों को निम्नलिखित पहलुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है– भूमिहीन श्रमिक, भूमि राजस्व, भूमि सुधार, सहकारी खेती, भूमि का राष्ट्रीकरण। डॉ. आंबेडकर ने

''कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन की मांग की। खेती के लिए अवांछित भूमि को भूमिहीन मजदूरों को दें।''[10] डॉ. आंबेडकर ने कृषि पर कर का समर्थन किया और कहा कि–''हर किसान, चाहे उसकी आय जो भी हो, भूमि कर के तहत लाया जाना चाहिए। जमीन के राजस्व की दर तय नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वेतन भोगी वर्ग, व्यापारियों और उद्योगों पर लागू आयकर के मामले में भिन्नता के आधार पर लोचदार और भिन्नता के अधीन होना चाहिए।''[11] साथ में छोटे किसानों की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुये डॉ. आंबेडकर ने कहा कि '' जिन किसानों की आय एक निश्चित स्तर से नीची थी, उन्हें भूमि कर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए।''[12] किसानों के भूमि से बेदखली की वजह से भूमि का एक बड़ा भाग ऐसे हाथों में चला गया जो अनुपस्थित भू–स्वामी थे। जो खेती नहीं करते थे और जमीन को पट्टे पर देते थे। इस पर डॉ. आंबेडकर ने ''कृषि को उद्योग का दर्जा देने की वकालत की और कहा कि–'' ग्रामीण भारत में कृषि और उद्योग के एक साथ विकास में भारत की समृद्धि है। भूमि सीमा के कार्यान्वयन की नजर से उपलब्ध अधिशेष भूमि समाज के कमजोर वर्गों के बीच वितरित की जानी चाहिए।''[13] डॉ. आंबेडकर के अनुसार छोटे हिस्सेदारी की बुराईयों से बचने के लिए भारत में सहकारी खेती की शुरूआत करनी हैं इसमें निजी स्वामित्व को नष्ट किए बिना खेती में शामिल छोटे भूमि के मालिकों के साथ कृषि करने के लिये प्रेरित करना है। डॉ. आंबेडकर का जमीन के स्वामित्व के मामले में कहना था कि ''राज्य को जमीन का मालिक होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को नहीं। भूमि का राष्ट्रीयकरण, छोटे–धारण और भूमिहीन श्रम के कारण अधिकांश बुराइयों का हल करने में सक्षम होगा।''[14]

निष्कर्ष :– डॉ. आंबेडकर के कृषि सम्बन्धी विचारों के गहन विवेचन से स्पष्ट है कि डॉ. आंबेडकर भारत में समानता हेतु दृढ़ संकल्पित थे। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ नहीं है। इसलिए डॉ. आंबेडकर ने संवैधानिक स्टेट सोशलिज्म के एक अंग के रूप में सामुदायिक कृषि की आवश्यकता है। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि यदि शासन ने सामाजिक, आर्थिक–क्रियाकलापों का नियमन नहीं किया तो वह निजी मालिकों को करना पड़ेगा और ऐसा करते समय वे अपनी आजादी का उपयोग दूसरों पर अधिसत्ता स्थापित करने के लिए भी करेंगे। उस परिस्थिति में जमींदार भी कुलों पर जबरदस्त जमीन भाड़ा थोपेंगे और पूंजीपति भी कामगारों के काम करने में घंटे बढ़ायेगें और वेतन कम करेंगे। अर्थात इससे राजनीतिक प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धान्त यानी स्वयंभू व्यक्ति, अविछिन्न मूलभूत अधिकार संवैधानिक अधिकार का बिना शर्त लाभ, और शासन संस्था द्वारा दूसरों पर लादने योग्य सत्ता का निजी व्यक्ति के हाथों में अहस्तांतरण को ही क्षति पहुँचेगी। डॉ. आंबेडकर के कृषि सम्बन्धी विचारों पर अमल किया जाता तो गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने में आज भारत सक्षम होता अर्थात आज किसान एवं गरीब सुख–शांति से भरण–पोषण करता । गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा नहीं होता। डॉ. आंबेडकर के कृषि सम्बन्धी विचारों पर सरकारों को अमल करने की महती आवश्यकता है।

वरिष्ठ–प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी
मो. 7905557894

संदर्भः–

1. प्रतियोगिता दर्पण, अतिरिक्तांक , भारतीय अर्थव्यवस्था–2020, पृष्ठ–73
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, राकेश कुमार रोशन, अरिहन्त पबिल्केशन्स लिमिटेड, नई दिल्ली, ISBN :987-93-13197-37-9 पृष्ठ संख्या–85
3. बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर सम्पूर्ण बांगमय, खण्ड–02, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–245
4. बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर सम्पूर्ण बांगमय, खण्ड–02, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृश्ठ संख्या–245
5. बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर सम्पूर्ण बांगमय, खण्ड–02, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–246
6. बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर सम्पूर्ण बांगमय, खण्ड–02, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–256
7. पांचजन्य, संग्रहणीय अंक, अप्रैल–2015, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय, एक ही सिक्के के दो पहलू–रमेश पतंगे, पृष्ठ–30, भारत प्रकाशन लिमिटेड, दिल्ली।
8. सामाजिक न्याय संदेश, डॉ. आंबेडकर 125 वीं जयंती विशेषांक , अप्रैल 2015, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, लोकतंत्र के महान हस्ताक्षर डॉ. बी.आर. आंबेडकर–डॉ. आर. एस. कुरील, प्रो. सी. डी. नायक, पृष्ठ संख्या–16
9. डॉ. भीमराव आंबेडकर व्यक्तित्व के कुछ पहलू – मोहन सिंह, लोक भारती, पेपर बैक्स (प्रकाशन) इलाहाबाद, वर्ष–2018, पृष्ठ संख्या–99
10. www.orfonline.org.research
11. www.orifonline.org.research
12. www.orfonline.org.research
13. www.orfonline.org.research
14. www.orfonline.org.research

ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाने में मीडिया की भूमिका

– अनिल कुमार गुप्ता

सारांश : 2 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था। एक कदम स्वच्छता की ओर, अभियान का मकसद देश को गंदगी मुक्त बनाना था।[1] गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराने के साथ–साथ उनका उपयोग सुनिश्चित कराना सबसे बडी चुनौती थी। इसके लिए आवश्यथक था लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाना तथा उनकी आदतों में परिवर्तन लाना। इसके लिए ग्रामीणों को विभिन्न संचार माध्यमों से प्रेरित व जागरूक किया गया। स्वच्छ भारत अभियान की इस कडी में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम से प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराया गया तथा उस शौचालय के उपयोग करने के लिए लोगों को विभिन्न संचार माध्यमों से जागरूक किया गया उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया गया। लोगों की जागरूकता व उनकी आदतों में बदलाव का ही परिणाम रहा कि गांव खुले में शौच से मुक्त हो सके।[2]

की वर्ड–स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ), प्रचार–प्रसार, मनरेगा, संचार माध्यम, जागरूकता ।

प्रस्तावना–भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की नई दिल्ली, राजपथ पर शुरूआत करते हुए कहा था कि ''एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं।'' 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था।[3]

इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्वच्छता के जन अभियान की अगुआई करते हुए प्रधानमंत्री ने जनता को महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण वाले भारत के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयं मंदिर मार्ग पुलिस थाने में स्वच्छता अभियान को शुरू किया। देश की लगभग दो तिहाई आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां

आधारभूत जरूरतों के साथ–साथ जागरूकता का अभाव है।[4] स्वच्छता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक, हर घर में शौचालय होकर उनका उपयोग करना, खुले में शौच से मुक्त कराना, अपशिष्टक पदार्थ व कूडे–करकट का उचित निपटान तथा गंदे पानी की उचित निकासी होना है। ग्रामीण इलाकों की सबसे बडी समस्या खुले में शौच की रही है और यही गंदगी का सबसे बडा कारण रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में शौचालय होने के साथ उसका उपयोग कराना, जिन घर में शौचालय नही है, वहां शौचालय का निर्माण कराना सबसे बडी चुनौती थी। सरकार ने इस दिशा में अभियान के रूप में कार्य करते हुए शौचालय का निर्माण कराया। अब इससे भी बडी चुनौती थी इन शौचालयों का उपयोग कराना। इसके लिए विभिन्न संचार माध्यमों से लोगों को प्रेरित किया गया। इसी का परिणाम रहा कि ग्रामीण इलाके खुले में शौच से मुक्त हो सके। शोध में स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के तहत खुले में शौच से मुक्त हुई मध्यप्रदेश के भोपाल जिले की फंदा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बकानिया का अध्ययन किया गया है। ग्राम पंचायत बकानिया, उन ग्राम पंचायतों में से एक है, जो वर्ष 2019 के पूर्व ही खुले में शौच से मुक्त हो चुकी थी। ग्राम पंचायत की आवादी 1830 है तथा 290 परिवार निवासरत हैं। यहां स्वच्छता अभियान के पूर्व 165 घरों में ही शौचालय बने हुए थे तथा जिनके यहां शौचालय थे वह भी उनका उपयोग नही करते थे। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व मनरेगा से शेष घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया। साथ ही गंदे पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण, सोख्ता गड्ढे बनाए गए, कचरे के निपटान के लिए नाडेप बनवाए गए। उक्त के साथ–साथ विभिन्न संचार माध्यमों से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इसी का परिणाम रहा कि ग्राम पंचायत बकानिया 2018–19 में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित की गयी।[5]

उद्देश्य–देश की ग्रामीण आबादी आज भी आधारभूत जरूरतों का अभाव में है, आजीविका के अपर्याप्त संसाधन, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का अभाव है। शासन द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणजन व आम नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया करायी जाती है। परन्तु ग्रामीणों की जागरूकता व उन्हें उन योजनाओं की पर्याप्त जानकारी न होने से ऐसी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, न ही उन योजनाओं के वांछित उद्देश्य प्राप्त हो पाते है। शासन द्वारा लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने व उन्हें जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रचार–प्रसार माध्यमों का उपयोग किया जाता है।[6]

शोध का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचार माध्यमों से किए गए प्रचार–प्रसार से ग्रामीणों में आयी जागरूकता का अध्ययन करना, शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मीडिया की भूमिका का अध्ययन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अभियान व जागरूकता के लिए मीडिया का सबसे अच्छा माध्यम की जानकारी प्राप्त करना है। मनरेगा–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2 फरवरी 2006 से देश में लागू है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गयी है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण तथा ग्रामीणों की स्थायी आजीविका के स्त्रोत का निर्माण कराना है।[7] ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए शौचालय निर्माण, गांवों में आंतरिक पक्की सडक, गंदे पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण, कचरे के निपटान के लिए नाडेप बनाए जाने का प्रावधान किया गया। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के साथ–साथ स्वच्छता का वातावरण तैयार किया जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) प्रारंभ

किया गया।[8] इस अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों को खुले में शौच से मुक्त बनाना, गांव में कचरे का उचित निपटान के इंतजाम करना तथा गंदे पानी की उचित निकासी के लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करना था। स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को साफ–सफाई का महत्व समझाकर, उनकी आदतों व व्यवहार में परिवर्तन लाकर गांवों में स्वच्छता का वातावरण तैयार करना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार व आईईसी गतिविधियों का प्रावधान भी किया गया है। जिसके तहत विभिन्न संचार माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाना व स्वच्छता के महत्व को समझाना है।

प्रचार अभियान–राष्ट्रीय, राज्य स्तर एवं जिला स्तर–से रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन, समाचारों का प्रसारण, प्रेरकों द्वारा वार्ताएं, नाटक, स्वच्छता के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण, प्रेस नोट जारी करना, समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, पुरस्कार वितरण आदि गतिविधियां की गयी। ग्राम पंचायत स्तर–स्वच्छता रैली, स्वच्छता रथ, दीवार लेखन, रात्रि चौपाल, डोर–टू–डोर संपर्क, वाद–विवाद प्रतियोगिता, मुनादी, रंगोली प्रतियोगिता, स्वच्छता संवाद, नुक्कड नाटक, व्हाट्सएप ग्रुप (सोशल मीडिया) आदि के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को स्वच्छता व खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत बनाने हेतु जागरूक किया गया। (स्त्रोत–ग्राम पंचायत बकानिया।[9]

शोध प्रविधि–शोध के दौरान द्वितीयक आंकडों के लिए ग्राम पंचायत से संपर्क कर आंकडे प्राप्त किए गए साथ ही जिला पंचायत, राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकडे लिए गए। इसके अलावा शासकीय दस्तावेज, समय–समय पर जारी किए गए पत्र व दिशा–निर्देश से आंकडे प्राप्त किए गए। प्राथमिक आंकडे भोपाल जिले की फंदा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बकानिया के 100 लोगों से प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्राप्त किए गए हैं। ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 1830 है तथा मनरेगा के 128 जाब कार्डधारी परिवार हैं।[10] इनमें से 100 जाब कार्डधारी परिवारों का चयन नान रेंडम सेंपलिंग की कन्वीनिएंस पद्धति के आधार पर किया गया तथा चयनित प्रत्येक जाब कार्डधारी परिवार के किसी एक सदस्य जो सबसे ज्यादा पढा लिखा है, उसका चयन प्रश्नावली भरवाने के लिए किया गया। इस प्रकार 100 उत्तरदाताओं से प्रश्नानवली को भरवाया गया। प्रश्नाावली को दो भागों में बांटा गया, एक भाग में उत्तरदाता की सामान्य जानकारी, लिंग, उम्र, व्यवसाय तथा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न रखे गए तथा भाग दो में स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम पंचायत को ओडीएफ बनाने व स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए किए गए प्रचार–प्रसार से ग्रामीणों में आयी जागरूकता का अध्ययन संबंधी 10 प्रश्न रखे गए थे।

परिणाम–प्रश्नावली के प्रश्नों पर उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उत्तर अनुसार निम्न परिणाम प्राप्त हुए–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार हेतु संचार माध्यम के रूप में परंपरागत संचार माध्यम जैसे–मुनादी, नुक्कड नाटक, कठपुतली नृत्य, लोक गायन, लोक संगीत आदि, इलेक्ट्रानिक मीडिया– रेडियो, टेलीविजन, लिखित माध्यम–समाचार पत्र, पोस्टर, पम्पलेट, दीवार लेखन, होर्डिंग्स, फ्लेक्स आदि, सोशल मीडिया–फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप आदि का उपयोग किया जाता है।

2. ग्रामीणों को किसी अभियान या योजना की जानकारी देने में संचार माध्यम के रूप में टेलीविजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेलीविजन के पश्चात ग्रामीणों को जानकारी प्रदाय करने हेतु रेडियो संचार का महत्वपूर्ण साधन है। लिखित माध्यम, समाचार पत्र, परंपरागत संचार के माध्यम व लोगों को किसी के द्वारा बताए जाने पर भी जानकारियां मिलती है।

3. ग्रामीण अन्य संचार माध्यमों की तुलना में

टेलीविजन से ज्यादा प्रेरित होते है। ग्रामीणों को प्रेरित करने का रेडियो भी अच्छा संचार माध्यम है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण परंपरागत संचार माध्यमों, किसी के द्वारा समझाने, लिखित संचार माध्यम से भी प्रेरित होते है।

4. गांवों में लोगों को एकत्रित करने के लिए टेलीविजन, रेडियो व व्यक्तिगत/सामूहिक संपर्क सबसे ज्यादा कारगर होता है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन प्रचार–प्रसार का सबसे उपयुक्त संचार माध्यम है। टेलीविजन के बाद रेडियो, परंपरागत संचार माध्यम, लिखित माध्यम व सोशल मीडिया उपयुक्त संचार माध्यम है।

निष्कर्ष–ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं प्रचार–प्रसार व लोगों को जागरूक करने के लिए संचार माध्यम के रूप में परंपरागत संचार माध्यम जैसे–मुनादी, नुक्कड नाटक, कठपुतली नृत्य, लोक गायन, लोक संगीत आदि, इलेक्ट्रानिक मीडिया–रेडियो, टेलीविजन, लिखित माध्यम–समाचार पत्र, पोस्टर, पंफलेट, दीवार लेखन, होर्डिंग्स, फ्लेक्स आदि, सोशल मीडिया–फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप आदि लोकप्रिय है। ग्रामीणजन संचार माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर जागरूक होते है व योजनाओं का लाभ लेते है, जिससे शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होता है व योजनाओं के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। संचार माध्यम के रूप में टेलीविजन को सर्वाधिक लोग जानते है, उपयोग करते है तथा टेलीविजन के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करते हैं। शासकीय योजनाओं, शासन के महत्वपूर्ण, संदेश आदि आम जन तक पहुंचाने में टेलीविजन का महत्वपूर्ण योगदान रहता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता का सबसे अच्छा माध्यम टेलीविजन है। सरकार द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों से शासकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर ग्रामीणों तक जानकारी पहुंचाया जाना आवश्यसक है। जिससे ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके ताकि वह योजनाओं का लाभ ले सके व योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन हो सके।

शोधार्थी, जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय,
भोपाल, मध्य.प्रदेश
पता– फ्लेट नं– 117, ब्लाय–ए, सागर
प्रीमियम टावर्स, फेज–2, कोलार रोड भोपाल,
मध्य प्रदेश, 462042
मोबाईल– 9425003646

संदर्भः–

1. https://www.pmindia.gov.in/hi/major_initiatives.
2. https://sbm.gov.in/phase2dashboard/phaseII/NationDashboard.aspx.
3. https://swachhbharatmission.gov.in/SBMCMS/media-inquiry-hi.htm.
4. https://pib.gov.in/newsite/archivephoto.aspx.
5. Boisson et al. Promoting latrine construction and use in rural villages practicing open defecation: process evaluation in connection with a randomized controlled trial in Orissa, India BMC Research Notes 2014, 7:486, http://www.biomedcentral.com/1756-0500/7/486.
6. कार्यालय ग्राम पंचायत बकानिया, जिला भोपाल, मध्य–प्रदेश से प्राप्त दस्तावेज।
7. RODRIGUES USHA M. and NIEMANN MICHAEL (2017), Social Media as a Platform for Incessant Political Communication: A Case Study of Modi's "Clean India" Campaign, International Journal of Communication 11(2017), 34313453
8. https://www.nrega.nic.in/Nregahome/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx
9. Open Defication free (ODF) sustainability guidelines, (Dec 15, 2016), Govt. of India, Ministry of Rural Drinking and Sanitation, Swachh Bharat Mission (Gramin).
10. Gram Panchayat Bakania, Distt Bhopal,
11.http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/app_issue.aspx?page=b&lflag=&state_name=MADHYA+PRADESH&state_code=17&district_name=BHOPAL&district_code=1728&block_code=1728002&block_name=PHANDA&fin_year=20212022&source=national&Digest=xex6JmO4mkBg8OdGmLe/mQ

Major Problems and Challenges in the Way of Administrative Reforms in India

- RAJ KAMAL SONI

Abstract

The development of our civilization and enforcement of the present welfare state depends on the civil services and the personnel working in it. After the development of the concept of welfare state, there has been a huge increase in the work and importance of administration. From the monarchical system to the emergence of the modern public welfare state, the importance of public services has increased progressively, with it the administrative problems have also expanded. The Indian administrative structure is basically based on the British system of governance which has gone through continuous changes and reforms. The main objective of the present research paper is to analyze the major problems and challenges in the way of administrative reforms in India. The main method for the theoretical basis of the paper is to screen and evaluate secondary data sources.

Keywords : *Administrative Reforms, Inefficiency, Bribery, Corruption, Nepotism, Accountability, Transparency.*

Introduction

While governments may come and go, ministers may rise and fall, the administration of a country goes on forever. No revolution can change it. And no upheaval can uproot it.

Ramsay Muir[1]

In the modern administrative state, public administration lies at the center of the society and the importance of administration is increasing day by day in the present democratic system.In a developing country like India where resources are available in limited quantities, achieving the goals of a welfare state is no less than a challenge for the administration. Administrative Reform is a process that involves enhancement in the capacity of an administrative system to achieve its assigned goals."[2] In the words of Gerald Caiden, "administrative Reform is an artificial inducement of Administrative transformation against resistance."[3]

Major Challenges for Administrative Reforms in India

"Committee and Commissions may be able to formulate proposals for reform, but unless civil servants are mindful of their responsibilities and conduct

themselves in a responsible manner, such proposals are bound to remain a dead letter."

2ndARC, Government of Kerala,1967[4]

The Indian administrative system lacks the basic elements that contribute to administrative efficiency and sensitivity. After independence, several committees were formed one by one for administrative reforms and their suggestions were put on 'cold storage'.Most government organizations have a conservative tendency and remain indifferent to innovative changes. This resistance to innovative change makes administrative reform necessary. Here the major issues and challenges present in the Indian Administrative System are discussed as follows:

1. Lack of Political Will and Commitment

Public administration is Subsystem of the political system therefore, administrative reforms follow political reforms. Administrative reforms in India requires proper attention and priority through higher level politicians and administrators. Dispute between different political parties hinder the implementation of several important and necessary recommendations. The top level political and administrative officials are found to be profoundly unconcern to administrative reforms. Indian administration is incredibly sensitive, swift and efficient when the demand comes from 'VIPs' or those with appropriate 'contacts'.[5]

2. Abuse of Powers of Delegated Legislation by Administrators

Indian Administrative system is considered as legacy of British rule which acts as autocratic, authoritarian and master rather than servant of the people. They do not want to lose the privilege, status and power inherent with them. The bureaucracy has been strengthened due to delegated legislation. Delegated legislation transfers the power to analy zeandimp lementany recommendation from legislation to bureaucracy. The bureaucracy establishes control over administrative reforms. This results in the creation of an unwanted filter, where administrators do not select or reject recommendations based on public interest rather, they work inspired by their need, requirements and self-interest. According to Ramsay Muir, "In our system of government, the power of bureaucracy is enormously strong, whether in administration, in legislation, or in finance. Under the cloak of ministerial responsibility

and cabinet dictatorship it has thriven and grown until, like Frankenstein's monster, it sometime seems likely to devour itscreator."[6]

3. Lack of Accountability and Transparency

The Indian bureaucracy has flourished under the guise of many outdated laws and regulations. Secrecy in administrative work is the most important cause of corruption, inefficiency, irresponsibility and it is the enemy of good governance.In the British rule, administrative information was kept hidden from the general public. Under the guise of this tradition, information about administrative Functions in India is generally hidden from the general public. The Official Secrets Act, 1923 and the Indian Evidence Act, 1872 are responsible for it.The Right to Information Act, 2005 is a milestone in bringing about administrative transparency and accountability, but this reform can be considered successful in the true sense only when its benefits reach the lowest strata of the society.

4. Rigid Rules and Regulations

Most of the work in government offices in India is done through files. Government servants have become so accustomed to rules and procedures that human feelings and sensitivity are secondary matters to them. Unnecessary delay is done in the decision process and administrative work by resorting to strict rules and hierarchical system.The Committee on the Prevention of Corruption, headed by K. Santhanam had recommended that government functioning, bureaucratic rigidity and procedures should be simplified to eliminate corruption. It was also suggested that the period for completion of government works should be fixed. A similar suggestion has been made by the Second Administrative Reforms Commission in its thirteenth report, that the number of stages a file passes through for a decision should not exceed three.[7]

5. Huge Size of Administration

The scope of public administration in India is very wide and complicated. The network of several executive organizations, including the vast Central and State Secretariat functioning at the federal and state levels, is spread all over the country. The sheer size of administration gives rise to various administrative problems. Due to the sheer size of the administration, a huge amount is spent in the maintenance of the administration and the salaries of the personnel which not only thwarts the

administrative reforms but also hinders the development of the country.

6. Administrative Inefficiency

Efficiency at all levels of public administration is essential for providing public services to citizens. Indian administrative system lacks professionalism which leads to administrative inefficiency. One of the main reasons for administrative inefficiency is the lack of proper coordination between authority and responsibility. The lack of communication gap between the government and the common people also creates problems for efficient and effective implementation of administrative services.

7. Nepotism - The problems of Indian public administration are complex, intractable and strange, where power is misused for caste and family relations. Which leads to nepotism in the organization. It involves abuse of power to put family members and friends in high positions, disregarding the principle of merit. Due to nepotism, unqualified people enter the administration, as a result of which the general public and the administrative system have to suffer for years.

RAJ KAMAL SONI
Research Scholar
Department of Public Administration
Jai Narayan Vyas University, Jodhpur

References :

1. Laxmikanth, M. 2019. *Public Administration*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education. p.9.

2. Arora, Ramesh Kumar. 1995. *Indian Public Administration: Institutions and Issues.* New Delhi: Wishwa Prakashan. p.571.

3. Caiden, Gerald. 1969. *Administrative Reforms.* Chicago : Aldine. p.1.

4. https://arc.kerala.gov.in/sites/default/files/inlinefiles/Secretariat%20Reforms-%20report-13.pdf

5. Maheshwari, S. R. 2003. ***Administrative Thinkers (2 Edition).*** **Delhi:Macmillan Publisher India Ltd. p.40.**

6. Johari, J.C. 2006. *New Comparative Government.* New Delhi: Lotus Press. p.242.

7. Organizational structure of Government of India, Second ARC, Thirteen Report, April 2009. Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India, New Delhi. p.133.

सामाजिक क्रांति के अग्रदूत : बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर

– डॉ. प्रकाश अठावले

संस्कृत में एक कहावत है 'स्वदेश पूजते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते' डॉ. बाबा साहब उसके जीते–जागते प्रमाण हैं। युगपुरुष डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत की उन महान विभूतियों में से एक है, जिन्हें भारत की भावी पीढ़ियां आदर एवं सम्मान के साथ याद करेंगी। भारतीय संविधान के शिल्पी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत एवं बोधिसत्व डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन–दर्शन से इस देश के करोड़ों शोषितों को प्रभावित किया हैं। उन्होंने पिछड़े समाज के व्यक्तियों को आत्म–सम्मान के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त किया। सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन में युगानुकूल स्वस्थ एवं प्रतिगामी विचारधारा को अपनाने की दृष्टि प्रदान की। किसी भी विचार दर्शन या कर्मकाण्डीय रीति को बिना जाने और परखे स्वीकारना उनकी आस्था के विपरीत था। भारतीय समाज जीवन में एक महान सुधारक, स्पष्टवादी राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाला विचारक, संविधान एवं विधि विशेषज्ञ, रूढ़िवादिता के कट्टर विरोधी, उच्च कोटि के पंडित, समतावादी एवं दलितों के सच्चे एवं क्रांतिकारी पथ प्रदर्शक के रुप उनके विचार एवं चिंतन देशवासियों को सदैव आकाशदीप की तरह आलोकित करते रहेगें।

बाबा साहब ने दलितों में चेतना जगाकर उन्हें संवेदनशील, विवेकवान बनाया, उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और उन्हें आत्मसम्मान से जीने की संजीवनी प्रदान की। आज सरकारी सेवा में दलित वर्ग के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी, राजसत्ता में आसीन दलित वर्ग के सांसद और विधायक, आरक्षित कोटे से साधन सम्पन्न बने दलित जन बाबा साहेब के संघर्षों का ही फल हैं। इन सभी को उनके प्रति आजीवन कृतज्ञ होना चाहिए।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद उनका मिशन अभी अधूरा पड़ा है। हमें उनके सपनों के अनुरूप जाति व वर्ग–विहीन समाज बनाना है। ऐसा देश बनाना है जहाँ सभी को बराबर का सम्मान, समता, न्याय और स्वतंत्रता मिले। सभी को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की सुविधा मिले जिससे कि प्रत्येक अंधियारे घर में आजादी का प्रकाश पहुँच सके, भूखे पेट को रोटी मिल सके, तन ढकने को वस्त्र मिल सके।

'शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो' यह बाबा साहब ने हमें सर्वोच्च वैचारिक दीक्षा प्रदान की है। शिक्षित बनो का तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं प्रकाशमान होकर समाज को भी प्रकाशमान करें अर्थात शिक्षित व्यक्ति जीवन के प्रत्येक पल में नव जागरण का संदेश देता समाज को उन्नति की ओर प्रेरित करता रहे। संगठित बनो का अर्थ है, जातिगत भेदभावों तथा सामाजिक वर्जनाओं से ऊपर उठकर समभाव व सौहार्द के वातावरण में सम्पूर्ण मानव सृष्टि को एक समझकर उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। संघर्ष करो का मूल भाव यह है कि जीवन में सदा सजगता के साथ शिक्षा व संगठन से प्राप्त शक्ति का सदुपयोग जनहित में कर सामाजिक विपदाओं को दूर करे। अर्थात् अन्याय, अत्याचार, अमानवीय सामाजिक प्रथा–परम्परा एवं गलत सामाजिक विधि–विधान के विरुद्ध संघर्ष करें। इस दीक्षा को अपनाकर हम बाबा साहेब के दलितोत्थान की मशाल को निरंतर प्रज्वलित रखें।

डॉ. बाबा साहब जीवन के प्रारम्भ से अंत तक संघर्षो से जूझते रहें। विद्यार्थी जीवन में अछूत जाति में पैदा होने के कारण जगह–जगह उन्हें अपमान व तिरस्कार सहना पड़ा। युवावस्था में भी अछूत के भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ भी उन्हें उपेक्षा, असहयोग, असमानता और अपमान का सामना करना पड़ा। इसे उन्होंने चुनौती के रुप में स्वीकारते हुए असमानता, अन्याय, भेदभाव, छुआछूत, जात–पात के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। अपने अधिकारों के लिए महाड में

चवदार तालाब व नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया, अपने लोगों के अंदर से संकीर्णता व हीन–भावना निकालकर स्वाभिमान जगाने के लिए 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत' समाचार पत्र प्रकाशित किये। दलितों का संगठन करने के लिये 'बहिष्कृत भारत हितकारिणी सभा' की स्थापना की।

मध्यप्रदेश के महू नगर में एक सूबेदार मेजर थे उनका नाम था रामजी सकपाल वे महार जाति के थे, इसलिए लोग उनसे दूर रहे ताकि उसे छूकर वह भी छूत न हो जायें। उन दिनों सवर्ण लोग अछूतों को पशु और जानवरों से भी गया–बिता समझ उनसे वैसा ही व्यवहार करते थे। किसने बनाई थी उस समय की छुआछूत की व्यवस्था? कैसे पनपा था वह पाप? भगवान तो सबको समान रूप से जन्म देता है। फिर भी... कौन जानता था कि मेजर रामजी सकपाल और देश के लिए 14 अप्रैल,1981 ई. का दिन गौरवशाली होगा। तब वह नन्हा शिशु अन्य सामान्य शिशुओं की तरह ही पैदा हुआ था। जो आगे चलकर एक मसीहा, एक नेता, एक समाज सुधारक बन गया वह बालक और कोई नहीं भीमराव था। भीमराव की माताजी का नाम भीमाबाई था। "भीमाबाई की यह चौदहवीं सन्तान थी, जिसे वह पांच वर्ष तक ही प्यार–दुलार दे सकीं। चाची मीराबाई ने उसे 'भीवा' कहकर पुकारा। बाद में यह बालक भीमराव अम्बेडकर के नाम से विश्व विख्यात हुआ।[1] "भीमराव परिवार में सबसे छोटी सन्तान होने के कारण सबके दुलारे थे। जब वे केवल दो वर्ष के थे उनके पिता सेवानिवृत्त हो गये सन् 1896 ई. में उनकी माता का देहावसान हो गया। "आपका का विवाह बाल्यावस्था में 14 वर्ष की आयु में ही रमाबाई नामक 9 वर्षीय कन्या के साथ सन 1905 ई. में हुआ था[2] "माता–पिता संत कबीर के अनुयायी थे।

डॉ. अम्बेडकर, कबीर, फुले और बुद्ध प्रेरणा स्त्रोत थे। संत कबीर जिन्होंने उन्हें भक्ति भावना प्रदान की, महात्मा फुले ने उन्हें ब्राह्मणवाद विरोध के लिए प्रेरणा दी और भगवान बुद्ध से उन्हें मानसिक और दार्शनिक आधार मिला। इन महान पुरुषों की प्रेरणा से वे भी एक महान युगपुरुष बने। रामजी सकपाल की सेवानिवृत्ति के बाद परिवार महाराष्ट्र के कोकण, दापोली में जा बसा था। कुछ साल बाद परिवार दापोली छोड़कर सतारा चला गया जहाँ उनके पिता को एक नौकरी भी मिल गयी। भीमराव की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी हो गयी और हाईस्कूल की शिक्षा उन्होंने सतारा के सरकारी स्कूल में शुरू की। विद्यालय में भीमराव को वही अपमान सहना पड़ा जिसका उन दिनों हर 'अछूत' शिकार हुआ करता था। वे कई घंटो तक प्यासे ही रह जाते थे क्योंकि आम कुओं या नल से उन्हें पानी लेने का कोई अधिकार नहीं था। कुछ शिक्षक तो उनके कॉपी छूना या उनसे सवाल पूछना अशुद्ध या अपवित्र मानते थे। संस्कृत शिक्षक ने 'अछूतों' को संस्कृत पढ़ाना अस्वीकार कर दिया था। फलतः भीमराव को बाध्य होकर दूसरी भाषा के रुप में फारसी की शरण लेनी पड़ी थी। भीमराव के सहपाठी भी अस्पृश्यता बरतते थे। सन् 1904 ई. में उनके पिता सह परिवार बम्बई चले गये। बम्बई में ही एक ब्राह्मण शिक्षक अम्बेडकर थे, बालक भीमराव की प्रखर बुद्धि और प्रतिभा को देखकर बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने उसे गोदी में लेकर अपना बालक बनाया और अपना नाम अम्बेडकर भी दिया, तभी से बालक भीम से भीमराव अम्बेडकर हो गया। भीमराव ने सन् 1907 ई. में मैट्रिक तथा सन् 1912 ई. में बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने सन् 1915 ई. में एम.ए. के लिए 'एनशिएन्ट इंडियन कामर्स' विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। सन् 1916 ई. में उन्होंने लन्दन में 'स्कूल ऑफ इकनामिक्स पोलिटीकल साइंस' में प्रवेश लिया परन्तु छात्रवृत्ति की अवधि पूरी होने के कारण उन्हें बीच में ही भारत वापस आना पड़ा।

डॉ. अम्बेडकर जी ने सबसे अधिक जोर शिक्षा प्राप्त करने पर दिया। शिक्षा मनुष्य की एक विशेष योग्यता है और समानता मंजिल के पथ पर ले जाने वाली प्रथम सीढ़ी है क्योंकि जिस समय अम्बेडकर अपना मनन कर रहे थे उस समय शोषित–पीड़ित

समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। समाज अशिक्षित था। उन्होंने अनुभव किया था कि समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक पैदा हो जाता है जिससे उसमें अच्छे–बुरे का ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। शिक्षित व्यक्ति ही एकता के सूत्र में आबद्ध होकर संगठन का निर्माण कर सकते हैं, संगठन में ही शक्ति है और संघर्ष करने की क्षमता भी। उनका कहना था कि "जो समाज संगठित रहता है, वह किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है।"[3] अतः उन्होंने शोषित–पीड़ित समाज में शिक्षा के विस्तार के लिए 'पीपल्स एज्यूकेशन सोसायटी' की स्थापना की तथा इसके माध्यम से बम्बई और औरंगाबाद में कॉलेज प्रारम्भ किये।

डॉ. बाबा साहब ने विद्यार्थियों और नौजवानों से बहुत अपेक्षाएँ रखी है। वह चाहते थे कि "विद्यार्थी और नौजवान दलित समाज के उत्थान और विकास का दायित्व लें। विद्यार्थियों से उनका आग्रह था कि वह केवल विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर ही संतुष्ट न हों। क्योंकि डिग्रियाँ ही नौकरी के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जब तक वह अपने ज्ञान को प्रगतिशील नहीं बनायेंगे, अपने आत्मविश्वास को नहीं जानेंगे और कड़ी मेहनत को अपना धर्म नहीं बनायेंगे उनकी सफलता का सपना अधूरा ही रह जाएगा।"[4] सच बात यह है कि सिर्फ उपाधियाँ हासिल करने से कुछ नहीं होगा। सतत मेहनत और प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होगी। बाबा साहब ने विद्यार्थी और नौजवानों को शील का महत्व भी बताया है। वह कहते है कि, "शील के अभाव में ज्ञान व्यर्थ है।"[5] ज्ञान और शील को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। छात्रों को ज्ञान और शील से सम्पन्न होकर दलित समाज के हित में कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए। वह चाहते थे कि नौजवान विद्यार्थी एकजुट होकर हजारों सालों से हो रही जुल्म–ज्यादतियों और अन्याय को समाप्त करने के लिए आगे आएँ। वह यह जिम्मेदारी स्वेच्छा से लें। बाबा साहब शिक्षा और ज्ञान को उत्थान का सारथी मानते थे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक मूर्ति–भंजक और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे उन्होंने जाति–व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा कि "जाति व्यवस्था ने हिन्दुओं को पूर्णतः विघटित और चरित्र भ्रष्ट कर दिया है। यह जाति व्यवस्था ही है जो हिन्दुओं को दूसरे मानव धर्म के विस्तार और ग्रहण करने से रोकती है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों पर आधारित होगा। जाति केवल तब ही समाप्त हो सकती है जब अंतर भोज और अन्तर्विवाह सामान्य विषय हो जाये।"[6] जातिवाद के अंत के लिए बाबा साहब अंतर्जातीय विवाह को उपयुक्त मानते थे। दो एक अंतर्जातीय विवाहों से जाति प्रथा का अंत नहीं होगा। उनका कहना था कि "अंतर्जातीय विवाह जब बृहद सामाजिक स्तर पर सम्पन्न होंगे तभी यह अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। भोज एवं विवाह समाज की सामान्य बातें बननी चाहिए ताकि सभी जातियाँ शीघ्रातिशीघ्र एक हो जायें और सामाजिक विघटन की क्रियाएँ समाप्त हो जाएँ।"[7] जातिभेद निवारण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने के लिए अनिवार्य है। जातिवाद एक सामाजिक बुराई है। इसके परिणाम बहुत ही भयंकर है। अस्पृश्यता भारत के विकास और उसकी एकता के लिए अभिशाप है। बाबा साहब ज्ञान और चेतना को सामाजिक परिवर्तन का प्रबल आधार मानते थे। ज्ञान के अभाव में ही दलित और अस्पृश्य सदियों से पिसते आ रहे है। बाबा साहब कहते थे" एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि इतना अपमान, इतनी जबरदस्ती हम पर हो रही है फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमें उससे कोई पीड़ा नहीं है, हममें कोई बदले की भावना नहीं है, कोई चेतना नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। छोटी सी चींटी पर भी पाँव पड़ जाए तो वह काटती है। किन्तु हम इतने बड़े जानवर हैं फिर भी हमें किसी ने मारा तब भी हममें पलटवार करने की भावना पैदा नहीं होती, इसका क्या मतलब है? लेकिन जब हम इन कारणों को

खोजने का प्रयास करते हैं तब खास तौर पर दो कारण दिखाई देते हैं–उसमें एक यह है कि हममें चेतना और समझदारी नहीं है। जिनके पास चेतना और समझदारी थी उन्होंने उसके बल पर हम लोगों पर अन्याय किया। और स्वयं ही उस तरह के विधान बनाकर विधान के अनुसार हम लोगों को वैसा बर्ताव करना चाहिए इस तरह की जबरदस्ती की है। इसी का परिणाम हम लोग आज तक भोगते आ रहे हैं। और हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा इसलिए अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी से वार किया है।"[8]

बाबा साहब दलितों में एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करना चाहते थे कि वह अपने 'स्व' को जाने पहचाने। समाज में अपने महत्व को समझें। सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठें। अनेक प्राचीन किन्तु समय के प्रतिकूल सिद्ध होनेवाली परम्पराओं का त्याग करें। शास्त्रों में जो अछूतपन का विधान किया गया है उसे गलत सिद्ध करें। उनके विचार से बदलते समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव आना चाहिए। यदि बदलते समय के साथ दलित नहीं बदले तो वह भावी परिस्थितियों का मुकाबला करने योग्य नहीं रह जायेंगे। परिणाम स्वरुप सदियाँ बीत जायेगी अपितु दलित जहाँ का तहाँ रह जाएगा।

बाबा साहब दलित वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। वह इस बात से आहत थे कि दलितों में व्यापार–कारोबार करनेवालों की संख्या न के बराबर हैं। दलित समाज के लोग अपना व्यापार–कारोबार करने की दिशा में आगे आएँ, आर्थिक उन्नति हो सकती है। वे दलितों में ज्ञान प्रसार के साथ शराब मुक्ति के समर्थक थे। उनके अनुसार छात्रों ने यह बात सोचनी चाहिए कि वह जो पढ़ते हैं वह उनके बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक और उपयुक्त है या नहीं। छात्र भूतकाल के प्रज्ञावंत लोगों के दर्शन तथा उनकी आत्मकथाओं का अध्ययन करें जिससे बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। वह चाहते थे कि "अस्पृश्य जाति के लोग वे सभी पुरानी और घटिया किस्म के रीति–रिवाजों और परम्पराओं को त्यागें जो किसी समय उन पर जबरन लादे गए थे। किसी भी अछूत व्यक्ति के माथे पर ऐसा कोई निशान नहीं होता कि वह अछूत जाति का है। लेकिन उसके रीति–रिवाज उसे अछूत की श्रेणी में रख देते हैं। इसीलिए ऐसी सभी बातें और परम्पराएँ जो अछूतपन की घोतक हों उन्हें छोड़ देना ही श्रेयस्कर है।"[9] इसका तात्पर्य यही है कि कुप्रथा–परम्पराओं को त्यागने से ही समाज उन्नति का पथ प्रशस्त होगा।

डॉ. अम्बेडकर सामाजिक उन्नति के लिए राजनैतिक शक्ति का होना जरुरी मानते है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि विधान सभाओं में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित स्थान हो ताकि वे सम्यक ढंग से अपने विकास की योजनाओं को न केवल प्रस्तुत कर सकें अपितु उनकी क्रियान्विति के लिए भी वे प्रयत्न कर सकें। फलतः प्रान्त और केंद्र में समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वे सवर्ण जाति के एकाधिकार के चक्रव्यूह को तोड़कर उन सेवाओं में आ सकें। इससे उनमें समानाधिकार तथा सामाजिक स्तर व मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। उनके इस प्रयास के पीछे भी सामाजिक संरचना का वह विचार काम कर रहा था जिसके द्वारा वह नए वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। बाबा साहब सामाजिक क्रांति में नारी को पुरुष वर्ग की सहयोगी के रूप में देखना चाहते थे। वे समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। कारण दलित स्त्री एक ओर ब्राह्मणवाद तो दूसरी ओर पितृसत्ता के दबाव में रहती थी। स्त्रियों को उनकी इस स्थिति से उबारने के लिए बाबा साहब ने अनथक प्रयास किया परिणामस्वरुप काफी हद तक स्त्रियों में उत्पीड़न के विरुद्ध जागरूकता पैदा हुई और वह अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सजग हुई। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि, "दलित वर्ग समाज में प्रचलित कुरीतियों से दूर रहकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनमें महत्वाकांक्षाओं को जागृत कर उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध हों। बच्चों के दिल और दिमाग

से हीनता की भावनाएँ समाप्त हों। दलित वर्ग के युवा जब तक अपने जीवन–यापन के लिए अपने पैरों पर खड़े न हो जाएँ, वह शादी–विवाह के झमेले में नहीं पड़े। वह परिवार नियोजन पर ध्यान दें और पत्नी को अपना मित्र समझे। स्त्रियों के लिए उनका खास संदेश था कि यदि पति उनसे गुलामों की भांति कार्य करने को कहे तो उसमें इतना साहस होना चाहिए कि वह इस प्रकार से कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से अपनी अस्वीकृति दे दें। उनका विश्वास था कि जिस अनुपात में महिलाओं का विकास होगा उसी अनुपात में समाज का भी विकास होगा।"[10] डॉ. अम्बेडकर जी ने सबसे अधिक जोर शिक्षा प्राप्त करने पर दिया। शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। शिक्षा व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉ. अम्बेडकर भारत माँ के ऐसे सपूत थे जो हजारों सालों में अवतरित होते है और पीड़ित मानवता को परित्राण दिलाते है। सदियों की दासता, गुलामी और अभिशप्त जीवन जीने वाली भारतीय नारी की मुक्ति के लिए उन्होंने अहर्निश परिश्रम एवं संघर्ष किया, वे सूरज की तरह तपे और हिन्दू कोड बिल के माध्यम से भारतीय नारी के उद्धारक के रुप में उभरे। यद्यपि नारी समानता एवं उन्नति के विरोधियों ने हिन्दू कोड बिल को पास नहीं होने दिया किन्तु प्रकारांतर में उसकी सभी धाराओं पर कानून बना कर लागू किया गया। बाल विवाह अधिनियम, विधवा सम्पति अधिनियम, स्त्री धन सम्बन्धी अधिनियम, विवाह विच्छेद अधिनियम आदि बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की ही देन है।

बाबा साहब ने मात्र दलित एवं पिछड़े वर्ग के लिए ही नहीं सम्पूर्ण भारत के हर किसान, हर मजदूर, हर गरीब की खुशहाली के लिए सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने विधान बनाये। प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों की सुरक्षा की गारन्टी प्रदान की, जो विश्व के कई देशों के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार भारत का दलित एवं पिछड़ा वर्ग ही उनका ऋणी नहीं है। भारत का प्रत्येक पुरुष एवं नारी डॉ. अम्बेडकर के ऋणी हैं, अतः हम सब का परम दायित्व है कि उन्होंने बताये मार्ग का अवलंब करें।

भारत भूमि में निर्बलों को अहैतुक सम्बल प्रदान करने के लिए प्रत्येक युग में कोई न कोई महापुरुष अपनी करुणा की अमृत बूंदों से जन–जन को तृप्ति प्रदान करता है। ऐसे महापुरुष मानवता को दुःख से त्राण दिलाने में सहायक होते हैं और अन्याय की विभीषिका को कम करने में सबसे आगे रहते हैं। अन्याय और दुःख व्यक्तिगत भी होता है और समाजगत भी। व्यक्तिगत दुःख से मुक्ति पाने के लिये सभी चेतन प्राणी प्रयास करते हैं, परन्तु महापुरुष सबके दुःख को अपना दुःख मानते हैं और उस दुःख से समाज को परित्राण दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। कभी–कभी तो ये महापुरुष जीवन की अंतिम साँस तक परहित में निरत रहते हैं। बाबा साहब उनमें से एक थे।

सारांश :– डॉ. अम्बेडकर एक उच्च कोटि के विद्वान, भारतीय संविधान के जनक, आर्थिक, राजनैतिक विषयों के विशेषज्ञ, राजनेता, लेखक, आन्दोलनकर्ता, शिक्षाशास्त्री, कानूनविद, अधिवक्ता, भारत के प्रथम विधि मंत्री रहे हैं 'शोषित–पीड़ित वर्ग मसीहा के रूप में उन्हें आज भी याद करता है। बाबा साहब ने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, राजनैतिक और संवैधानिक अविरल संघर्ष का सूत्रपात किया। वे मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले महान सेनानी रहे जिन्होंने भारत के दलित उत्पीड़ित वर्गों की मुक्ति की दिशा में संघर्षकर्ता की भूमिका अदा की। लोगों को मानव मूल्यों को समझने का चिंतन दिया। उन्होंने इन्सान को इन्सानियत का दर्जा दिया। वे हर शोषित व्यक्ति की आवाज रहे। हर शोषित व्यक्ति के दिल के वे बेताज बादशाह थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बाबा साहब के बाद उनका सपना जो अधूरा रहा है, हमें उनके सपनों के अनुरूप जाति व वर्ग–विहीन समाज बनाना है। ऐसा देश बनाना है जहाँ सभी को बराबर का सम्मान, समता, न्याय और स्वतंत्रता मिले।

कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, इस्लामपुर
मोबा. 9730139183

संदर्भः–

1. सं. कालीचरण'स्नेही' – भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर, आराधना ब्रदर्स, कानपुर, पृष्ठ– 42
2. वही, पृष्ठ– 24
3. वही, पृष्ठ– 26
4. डॉ. सुजाता वर्मा– नई सदी और दलित, विकास प्रकाशन, कानपुर संस्करण–2013, पृष्ठ–61 5. वही, पृष्ठ– 61
6 सं. कालीचरण 'स्नेही' – भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर, आराधना ब्रदर्स, कानपुर, पृष्ठ– 27
7. डॉ. सुजाता वर्मा– नई सदी और दलित, विकास प्रकाशन, कानपुर, संस्करण–2013, पृष्ठ–61 8. वही, पृष्ठ– 86
9. वही, पृष्ठ– 95
10. वही, पृष्ठ– 96

चेतना एवं जागृति की कहानी का विद्यार्थी संस्करण : मोहनदास नैमिशरायजी की पाँच लघु–पुस्तिकाएं

'पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं'–यह एक प्रचलित मुहावरा है, किंतु इसमें आंशिक सच्चाई ही निहित है। प्रतिभा भले ही जन्मजात हो, किंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने श्रमबिंदुओं से अपने भाग्य की लकीरों का निर्माण स्वयं किया है। ऐसे जुझारू और जीवट व्यक्तित्व वाले जननायकों का जीवन–वृतांत न केवल इतिहास की धरोहर है अपितु यह नए नींव के निर्माण में भी अत्यन्त प्रेरणादायी और प्रभावी उत्प्रेरक भी है। ऐसे ही चारित्रिक व्यक्तित्व वाले सामाजिक सुधार के अग्रदूतों की जीवनी एवं उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को बोधगम्य एवं सरल भाषा में संचयित कर पाठकों के सम्मुख लाने का महत्वपूर्ण कार्य मिशन जय भीम प्रकाशन कर रहा हैं और मोहनदास नैमिशराय जो एक श्रमजीवी लेखक हैं पूरी निष्ठा और तत्परता से इस काम को अंजाम दे रहे हैं।

सामाजिक न्याय और पक्षधरता के लिए संघर्षरत ऐसे चरित्र जो नई पीढ़ी के बालमन को नई चेतना प्रेरणा एवं आत्मविश्वास से लबरेज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, ऐसे चरित नायकों की जीवनगाथा को सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने में नैमिशराय जी निरंतर कर्मरत हैं। इस क्रम में उन्होंने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर, माता रमाई अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, मान्यवर कांशीराम तथा हमने भी इतिहास बनाया जैसी लघु–पुस्तिकाओं के माध्यम से नए युग के नवांकुरों, अल्पशिक्षितों तथा चेतना शून्य श्रमिक समाज में एक नया गौरव बोध जाग्रत करने की चेष्टा की है। कर्तव्यों का पालन, संकल्पों के प्रति दृढ़ता तथा लक्ष्यों की प्राप्ति तक आमरण चेष्टा करने का जज्बा पैदा करने में ये लघु–पुस्तिकाएं विशेष सहायक हैं।

पहली पुस्तिका का शीर्षक है 'बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर' जो पूर्ण रूप से डॉ. अम्बेडकर के जीवन, दर्शन और कर्म पर आधारित है। डॉ. अम्बेडकर के अथक परिश्रम और धैर्य के फलस्वरूप जिस तरह से सामाजिक बदलाव घटित हुआ, उसके प्रभाव का उल्लेख करते हुए नैमिशराय जी इंगित करते हैं कि ''अंधेरे में छटपटा रहे दलित समाज ने अपने अधिकारों को पहचाना। उन्हें स्वयं को समझने की जिज्ञासा पैदा हुई। सामाजिक परिर्वतन के लिए बंद दरवाजे खुलें। लोगों ने महसूस किया कि इंसान के बीच में कोई भेद नहीं हैं। सभी एक समान है।''[1] इसी के साथ उन्होंने गृहस्थ धर्म निभाने वाली तथा अम्बेडकर के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाली उनकी पत्नी माता रमाई अम्बेडकर के चरित्र के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया है। तमाम आर्थिक अभावों तथा पारिवारिक आघातों को सहते हुए जिस तरह अम्बेडकर की पत्नी रमा अपने अटूट धैर्य का परिचय देते हुए आत्मसम्मान तथा सामाजिक न्याय की लौ को प्रज्ज्वलित करने वाले अम्बेडकर को अंतिम श्वांस तक सहारा तथा सहयोग देती है, वह एक सशक्त स्त्री का अप्रतिम उदाहरण है। धैर्य, सहनशीलता तथा संघर्ष का यह नूतन पाठ स्त्री समाज को नई दिशा देने में निस्संदेह सहायक है।

अपनी दूसरी पुस्तिका, जो माता रमाई अम्बेडकर पर केन्द्रित है, में नैमिशराय जी ने रमा जी द्वारा अम्बेडकर जी को लिखे एक पत्र का हवाला देकर उनके व्यक्तित्व के उज्ज्वल पक्ष का उद्घाटन किया है, जहॉ वे कहती हैं – ''आप बहुत पढ़ों, ये ही मेरी अभिलाषा है। आपने पत्र में कई बातें लिखी हैं। मैं आपके साथ हूँ। जो भी परेशानी होगी, मैं सहन करूँगी, परंतु पीछे नहीं हटूँगी, ऐसा आपको विश्वास दिलाती हूँ।''[2] इसमें कोई संदेह नहीं कि अंबेडकर के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी पत्नी की भूमिका अद्वितीय है। रमाई अम्बेडकर पर केन्द्रित यह पुस्तिका भी सामाजिक बदलाव व परिवर्तन के लिए लड़ रही स्त्रियों का मनोबल बढ़ाने में एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है।

तीसरी पुस्तिका सावित्रीबाई फूले के जीवन एवं कर्म पर आधारित प्रेरक प्रसंगों से युक्त है। जन–जन में ज्ञान की ज्योति फैलाने वाले युग्म नायकों ज्योतिबा फूले तथा सावित्रीबाई फूले का नाम सामाजिक क्रान्ति के उन अग्रदूतों में शामिल हैं। जिन्होंने सामाजिक भेदभावों, प्रवंचनाओं, उपेक्षाओं तथा दंशों को सहते हुए शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बालविवाह जैसी कुप्रथा के बंधन में बंधकर भी सावित्रीबाई फुले ने अपनी अंतर्रात्मा को मरने नहीं दिया तथा पढ़ने–पढ़ाने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। अपने कविता–संग्रह 'काव्य–फुले' (1854) के जरिए उन्होंने न केवल धार्मिक पाखंडों एवं कुरीतियों के खिलाफ लिखा बल्कि शिक्षादान के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली चुनौतियों का भी डटकर सामना किया। महिला मंडन (1852) तथा स्त्री विचारवती सभा (1871) का गठन करके उन्होंने बाल–विवाह और विधवा विवाह के कारण स्त्रियों पर किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ मोर्चाबंद कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। लेखक ने बड़ी खूबसूरती से उनके द्वारा किए गए प्रयासो को कलमबद्ध किया है, जो नवयुवकों में नई ऊर्जा भरने में एक ईंधन का काम कर सकता हैं। नैमिशराय जी उनके अवदान पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं – ''अस्पृश्यता उन्मूलन के साथ ही खेतिहर किसान–मजदूर वर्ग आदि की सेवाएं बाल–विवाह प्रतिबंध, विधवा–विवाह को प्रोत्साहित, सती–प्रथा की रोकथाम, बाल–हत्या प्रतिबंधक ग्रह, शिक्षा–प्रसार आदि

सामाजिक क्रांति के क्षेत्रों में, जहाँ फुले भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहीं, वे भी उनका साथ निभाते हुए आगे बढ़ती रही।''[3] अपनी अंतिम सांस तक लोकहित के लिए प्रतिबद्ध रहने वाली :सावित्रीबाई का कर्मजीवन सचमुच अपने आप में एक मिसाल है और नवसाक्षरों को नई दिशा में अत्यंत प्रेरणादायक है।

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं जबकि कुछ इतिहास बनाते हैं। मान्यवर कांशीराम जी एक ऐसी ही शख्सियत हैं, जिनके अवदान की चर्चा करते हुए अपनी चौथी लघु–पुस्तिका 'मान्यवर कांशीराम बंहुजनों के नायक' में मोहनदास नैमिशराय जी कहते हैं कि, ''कांशीराम जी ने 70 के दशक में न सिर्फ दलितों की भावनाओं को उद्वेलित किया बल्कि पिछड़ों और महिलाओं को भी समता और सम्मान के आंदोलन से जोड़ा। ओबीसी से सम्बन्धित लोगों को झिझोंड़ा जो सदियों से सवर्णों की ताबेदारी कर रहे थे।''[4] अपनी इस पुस्तिका में लेखक ने चिंतक, राजनेता, कुशल–लेखक तथा पत्रकार–सम्पादक के रूप में मान्यवर कांशीराम की भूमिका का रेखांकन किया है। वे बताते हैं कि यह कांशीराम जी की मेहनत का ही परिणाम और राजनीतिक सूझबूझ थी जिसके कारण पिछड़ों के साथ ओबीसी के नुमाइंदों को भी संसद और विधानसभाओं में प्रवेश मिला। लेकिन जमीन से सत्ता तक की इस शिखर–यात्रा की राह उनके लिए आसान नहीं रही। इसके लिए उन्हें अनेक कष्टों और अभावों का सामना करना पड़ा। फिर भी वे अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन की बात कही। बामसेफ और डी.एस–4 उनकी इसी पहल का नतीजा है। जन–जाग्रति के लिए चलाए गए उनके तमाम प्रयास तथा मुहिम को लेखक ने बड़े ठोस तरीके से प्रस्तुत किया है। इसमें उनकी पुस्तक 'चमचा युग' तथा 'बहुजन संगठक' अखबार का जिक्र भी है। संक्षेप में कहे तो लेखक ने पूरी चेष्टा की है कि कांशीराम जी का बहुमुखी चरित्र पाठकों के समक्ष आए तथा उनमें आत्मसम्मान, कर्तव्यनिष्ठा जैसे भावों का बीजारोपण करने में यह पुस्तिका मददगार साबित हो।

इसी कड़ी में नैमिशराय जी की अगली और पांचवीं पुस्तिका 'हमने भी इतिहास बनाया' का उल्लेख करना भी अति आवश्यक है। इस पुस्तिका में उन्होंने इतिहास में दर्ज उन महिला नायिकाओं के जीवनचरित, अटूट संघर्ष तथा उनके महत्वपूर्ण योगदान का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण उपलब्ध करवाया है। इतिहास में महिलाओं के दखल का जिक्र करते हुए वे लिखते हैं, ''इतिहास सिर्फ राजा–रानियों के भोग–विलासमय जीवन को ही नहीं कहते और न उनके छल–कपट, प्रंपच तथा राजनीति की शह और मात को। इतिहास में वह सब आता है जिसे बनाने में दलित समाज के रण–बांकुरों ने बलिदान दिए हैं। अनेक बार दलित और महिलाओं ने निर्णायक घड़ी पर अपने फैसले लेकर देश और समाज की मान–मर्यादा को बचाते हुए महत्वपूर्ण इतिहास बनाया है। जरूरत है उनके इतिहास में आस्था और विश्वास रखने की।''[5] इन्हीं प्रेरक तथा महिला जन–नायिकाओं के अविस्मरणीय व्यक्तित्व तथा कृतित्व का वर्णन इस आखिरी लघु–पुस्तिका में किया गया है। इसमें महिला नायिकाओं के संकल्पित कार्यों का उल्लेख है, वे हैं राधाबाई काम्बले, तुलसाबाई बनसोड़े, सुलोचनाबाई डोंगरे, लक्ष्मीबाई नाईक, गीताबाई गायकवाड़, मिनाम्बाल शिवराज, कौसल्या बैसंत्री, नलिनी लढ़के, विमल रोकड़े, मुक्ताबाई कांबले, जे. ईश्वरी बाई, रजनी तिलक, मुक्ता सालवे, जाईबाई चौधरी, अंजनीबाई देशभ्रतार, मुक्ता सर्वगोंड, शांताबाई दाणी, सखूबाई मोहिते, पारबताताई मेश्राम, दमयंती देशभ्रतार, लक्ष्मीबाई काकड़े, शांताबाई सरोदे, बेबीताई कांबले, शशिकला डोंगरदिवे, चंद्रिका रामटेके, शुद्धमती बोंधाटे, सुमन बंदिसोडे, भिक्खुणी चंद्रशीला, मीराताई अम्बेडकर, मधुमाया जयंत, लक्ष्मीदेवी टम्टा, नागाम्मा तथा मनियाम्मा। लेखक का मूल लक्ष्य इन चरित्रों से आम पाठक का रिश्ता जोड़ना, ताकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन को भी आदर्श पात्रों के समानान्तर खड़ा करने की चेष्टा करें तथा अपनी प्रतीति उनमें तथा उनकी परछाई को अपने अंदर समाहित करने की चेष्टा करे। जन–जाग्रति तथा नए जनांदोलनों की नींव के निर्माण के लिए उन चरित्रों से प्रेरणा लेकर इनके नक्शेकदम पर चलकर ही सफलता पाई जा सकती है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लघु–पुस्तिकाओं के रूप में नैमिशराय जी ने न केवल इतिहास की कोख में दर्ज उन उज्ज्वल चरित्र वाले प्रेरणा पूंजों को सरल–सहस्र तथा आकर्षक रूप से आम पाठकों विशेषकर नवांकुरों के समक्ष परोसने का जरूरी कार्य किया है बल्कि सामाजिक न्याय, मानवता, तथा अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति चेतना का बीज बोते हुऐ एक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को यथार्थ की जमीन पर उतारने की भी कोशिश की है।

प्रदीप कुमार ठाकुर
शोधार्थी,
उत्तरबंग विश्वविद्यालय,
दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल

संदर्भः–

1. नैमिशराय मोहनदास – बाबा साहेब अम्बेडकर, मिशन जय भीम प्रकाशन, बादली दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ.सं. 26
2. नैमिशराय मोहनदास – माता रमाई अम्बेडकर, मिशन जय भीम प्रकाशन, बादली, दिल्ली, प्रथम संस्करण पृ.सं. 20
3. नैमिशराय मोहनदास – सावित्री बाई फुले, मिशन जय भीम प्रकाशन, बादली दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ.सं. 35
4. नैमिशराय मोहनदास – मान्यवर कांशीराम – बहुजनों के नायक, मिशन जय भीम प्रकाशन, बादली दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ.सं. 7
5. नैमिशराय मोहनदास – हमने भी इतिहास बनाया, मिशन जय भीम प्रकाशन, बादली दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ.सं. 26

बाबा साहेब ने 18 जुलाई 1942 को कहा था–हमारी लड़ाई सत्ता और सम्पत्ति की नहीं, अपितु आजादी के लिए है। आज भी दलितों–पिछड़ों पर होने वाले अत्याचार बताते है कि देश के आजाद होने के बावजूद वे आजाद नहीं है। जब तक सांस्कृतिक वर्चस्व की द्विज मानसिकता और भू स्वामी जातियों द्वारा प्रायोजित जातिवाद रहेगा तब तक देश में सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रावधानों की पूर्णता संदिग्ध बनी रहेगी।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक सत्ता को आवश्यक बताते हुए बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था– राजनीतिक सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे मुक्ति के सभी दरवाजे खोले जा सकते है। राजनीतिक सत्ता सामाजिक प्रगति का मुख्य द्वार है। आज दलितों–वंचित वर्ग को जो भी अधिकार मिले हैं, वे अपने आप नहीं मिले हैं। इसके लिए डॉ. अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाकर समाज के सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन को मजबूत किया है। डॉ. अम्बेडकर ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर ही इस संघर्ष को जिंदा रखा है।

* धर्म और जाति का राष्ट्रवाद समानता के बिना संभव नहीं है।
* समानता का अर्थ है - सभी को समान अवसर उपलब्ध हो और प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया जाए।
* हिन्दू समाज का गठन केवल समानता और जाति विहिनता के सिद्धांत पर ही होना चाहिए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

_____

_____

_____

_____

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक पिंकी सत्यप्रेमी ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार